

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2183/2023

अजीत कुमार चन्द्रवंशी

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आर.आर.वी.एन.एल. जयपुर।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (ओ एण्ड एम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर डिस्कॉम, महादेववाली रोड़, टोंक।
4. सहायक अभियंता (ए-2), टोंक राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.10.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या-7592/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 पारित किया गया है, जिसमें अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. के कर्मचारियों के सेवा विवाद का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को होना नहीं माना गया है।
2. अतः यह अपील इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी को छूट दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)